हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

14 अगस्त, 1972

खण्ड 2, अंक 1

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 14 अगस्त, 1972

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(1)1
अतारांकित प्रश्नोत्तर	(1)18
शोक प्रस्ताव	(1)19
घोषणाः—	
(क) अध्यक्ष द्वारा 1. सभापति तालिका 2. याचिका समिति	(1)26
(ख) सचिव द्वारा	(1)27
मेज पर पुनः रखे गए/रखे गए कागज पत्र	(1)27
घोषणाः—	
अध्यक्ष द्वारा	(1)29

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 14 अगस्त, 1972

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में मध्यान्होपरान्त 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री बनारसी दास गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्रश्नोत्तर काल।

Employees of B.K. Hospital, Faridabad

***24. Sh. K.N. Gulati:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

whether it is a fact that one lady social worker, 6 Ayas, 4 Dhobies and one Tailor of B.K. Hospital, Faridabad have not been getting their monthly wages for the last 8 to 12 months; if so, the reasons therefore and the time by which they will be paid their dues?

Deputy Minister (Smt. Sharda Rani): It is correct that the Lady Social Worker, Six Ayas, four Dhobies and one Tailor of B.K. Hospital, Faridabad could not be given their month salaries regularly for some months because after the B.K. Hospital was taken over by Government, it was upgraded into a 200 bedded hospital in November, 1970 and according

to the sanctioned norm of staff for a 200 bedded hospital, there was no provision for the posts of Lady Social Worker, Ayas, Dhobies and Tailor and these posts were accordingly abolished. However, considering their past services, Government have finally decided to retain all these employees in service. They have also been paid their salaries upto-date and will be paid salary regularly henceforth.

श्री के0एन0 गुलाटी: स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अस्पताल जिसका मैंने अपने सवाल में जिकर किया है वह पहले सैन्टरल गवर्नमैंट के पास था फिर पंजाब सरकार के पास आया और फिर हरियाणा सरकार के पास आया। यह जो स्टाफ था उसकी सर्विसिज रेग्यूलर थीं और अस्पताल की सर्विस असैन्शन सर्विस होती है। पब्लिक सैक्टर में सर्विस ब्रेक नहीं होनी चाहिए। फिर इनकी सर्विस में ब्रेक क्यों आया ?

Pandit Chiranji Lal Sharma: On a Point of Order, Sir. May I know whether the Hon. Member means to address the House or wants to put a supplementary?

श्री अध्यक्ष: ठीक है। गुलाटी साहब आप सिर्फ इतना ही पूछिए कि उन लोगों की अर्विसिज क्यों ब्रेक हुई ?

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, जिस समय किसी भी प्राईवेट इंस्टीट्यूशन को प्रोविन्शियलाइज किया जाता है उस वक्त यह जरूरी नहीं कि तमाम लोगों की सर्विसिज को यूटीलाइज किया जाए। जिनकी सर्विसिज को ठीक समझते हैं

उनकी सर्विसिज को यूटीलाइज कर लिया जाता है। हर आदमी की सर्विस को यूटीलाइज नहीं किया जाता।

चौधरी दल सिंहः क्या चीफ मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि यह अस्पताल सरकार ने कब लिया और कब यह फैसला किया कि यह स्टाफ ले लिया जाए ?

चौधरी बंसी लालः यह 1959 में लिया गया था।

श्री अध्यक्षः यह तो जवाब में दिया हुआ है।

Ch. Bansi Lal: This was taken over by the Government in 1959. But, the decision to provide a 200 bedded Hospital was taken in November, 1970.

चौधरी दल सिंहः यह फैसला कब लिया कि इस स्टाफ को फिर लगा लिया जाए ?

Ch. Bansi Lal: This decision was taken somewhere in February, 1972.

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, जवाब में यह कहा गया है कि एक लेडी सोशल वर्कर 6 आयाज, 4 धोबी और एक टेलर were irregular for sometime and they could not be given their monthly salaries regularly. तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि कितने दिन यह इररेग्यूलर रहे ?

Ch. Bansi Lal: They remained irregular for 7½ months. Now, their services have been regularized.

श्री अमर सिंहः चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि यह साढ़े सात महीने तक इररेग्यूलर रहे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

Ch. Bansi Lal: Previously, it was thought that their services were not required in the hospital at all. Later on, however, on humanitarian grounds, keeping in view the length of their service, t was decided that they should be absorbed. This was the leniency shown to them by the Government. So, they were absorbed.

श्री के0एन0 गुलाटीः क्या इस वक्त अस्पताल में स्टाफ पूरा है ?

Ch. Bansi Lal: I think, this supplementary does not arise out of this question.

श्री अध्यक्षः आपने क्या फरमाया था (श्री के0एन0 गुलाटी की तरफ इशारा करते हुए) ?

श्री के0एन0 गुलाटीः मैं यह पूछ रहा था कि इस वक्त स्टाफ पूरा है ?

श्री अध्यक्षः आपकी यह सप्लीमेंटरी इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती। आप इस सम्बन्ध में कोई और प्रश्न पूछिए।

श्री के0एन0 गुलाटीः क्या उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है जिन्होंने कि उन लोगों को तनख्वाह नहीं दी ?

श्री अध्यक्ष: यह जवाब आ चुका है।

Ch. Bansi Lal: It is already given in the reply that they have been paid.

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न नम्बर 104।

Burnt Tube well Meters

***104. Ch. Dal Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) the total number of Tube well meters burnt in Jind Sub-Division during the year 1969-70, 1970-71 and 1971-72;

(b) the names and addresses of the tube well owners whose meters referred to in Part (a) above were burnt together with the dates of burning and replacement of such meters;

(c) the name of the laboratory where the burnt meters were tested together with the date of testing in each case and the laboratory result;

(d) the total amount realised from the Tube well owners for their burnt meters; and

(e) the total amount refunded to each meter owner after testing the meter in laboratory together with the dates of refund?

Deputy Minister (Smt. Sharda Rani): (a), (b), (c), (d) and (e): Time and labour involved in collection the

information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, मेरा निवेदन यह है कि मैंने जो भी सवाल पूछे हैं वे ठीक समय पर मैंने भेजे और वह एडमिट भी हो गए। लेकिन इन पांचों सवालों के जवाब में इन्होंने यह लिख दिया है कि सूचना इकट्ठी करने में जो समय और परिश्रम लगेगा उससे कोई फायदा नहीं होगा। स्पीकर साहब, हम जो भी सवाल पूछते हैं वह हाउस की जानकारी के लिए पूछते हैं। पब्लिक को भी कुछ पता लगता है। मैं कहना चाहता हूं कि आज हरियाणा में बिजली की जो खराब दशा है वह और कहीं पर भी नहीं है।

श्री अध्यक्षः आप कहना क्या चाहते हैं ?

चौधरी दल सिंहः मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने पांच सवाल पूछे हैं और हा सवाल का जवाब यही दिया गया है कि इसमें परिश्रम ज्यादा लगेगा और उससे फायदा कुछ नहीं होगा। स्पीकर साहब, हरियाणा में बिजली की हालत बहुत ही खराब है।

श्री अध्यक्षः इसमें कोई भाषण देने की बात नहीं है। चीफ मिनिस्टर या सरकार इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि फलां प्रश्न का जवाब देना जरूरी है या नहीं। हम उनको कम्पैल नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते कि वे जरूर जवाब दें।

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि आनरेबल मैम्बर ने जो सवाल पूछा है वह इस प्रकार है:—

"(a) the total number of Tube well meters burnt in Jind Sub-Division during the year 1969-70, 1970-71 and 1971-72;

(b) the names and addresses of the tube well owners whose meters referred to in Part(a) above were burnt together with the date of burning and replacement of such meters;"

क्या यह कोई इंफरमेशन मांगने की चीज है कि कितने मीटर जले, किस—किस के जले, किस तरीक से जले और आगे कहते है:—

"(c) the name of the laboratory where the burnt meters were tested together with the date of testing in each case and the laboratory result;

(d) the total amount realised from the Tube well owner after testing the meter in laboratory together with the dates of refund?"

It will be seen that the giving of all this information required atleast 200 pages so as to show the total number of tube well meters, the names and addresses of the tube well owners together with the name of the laboratory where the meters were tested, the total amount realised and the amount repaid in each case, etc. So, the Hon. Member should have put a simple question asking as to how many meters were burnt

during these years. I could then very well answer that in 1969-70, 16 meters, in 1970-71, 96 and 1971-72, 79 meters were burnt. But, the Hon. Member, Sir, wanted so much details that it was rather impossible for the Government to collect all this information and then to place it on the Table of the House.

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने जवाब दे दिया है। मैं तेा यही बताना चाहता था कि बिजली के महकमे में आज बड़ी धांधली मची हुई है .....

चौधरी बंसी लालः धांधली तो नहीं है .....

चौधरी दल सिंहः अगर गवर्नमैंट यह समझती है कि धांधली चलती रहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकर साहब, पिछले सत्र में इसी तरह के क्वैश्चन का इन्होंने जो जवाब दिया था और जो फिगर्ज उस समय बताई थी और जो आज चीफ मिनिस्टर साहब ने फिगर्ज बताई है उनमें बड़ा फर्क है। पिछले सैशन में इन्होंने 1968–69 में 35, 1969–70 में 50 और 1970–71 में 55 मीटरय जले बताए थे लेकिन आज यह दूसरी ही फिगर्ज दे रहे हैं।

चौधरी बंसी लालः आप जरा वह क्वैश्चन तो पढत्र दे जिसके जवाब में यह फिगर्ज बताई थी। मेरा ख्याल है कि आने पहले जींद डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा था।

चौधरी दल सिंहः मैंने पिछले सत्र में भी ऐसा ही सवाल पूछाा था लेकिन उस वक्त इन्होंने ये फिगर्ज दी थी। गवर्नमैंट से मेरी गुजारिश है कि वह बिजली के महकमें की तरफ ज्यादा ध्यान दें। आज कहीं पर लोगों के मीटर जल रहे हैं कहीं कुछ और हो रहा है, वहां धांधली मची हुई है।

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, जहां तक मुझे लगता है कि चौधरी दल सिंह जिस चीज को रेफर कर रहे हैं और जो फिगर्ज वह दे रहे हैं, मेरे सामने तो वह प्रश्न है नहीं। मेरी राय में उन्होंने जींद डिस्ट्रिक्ट का पूछा होगा और इस सवाल में उन्होंने जींद सब डिविजन का पूछा है। Sub-Division is not the whole District. दूसरी बात यह है कि मैं मानता हूं कि ुछ मीटर जले भी हैं। 18 जुलाई, 1970 को चौधरी दल सिंह का मीटर जल गया था और इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड ने 19 जुलाई, 1970 को अगल ही दिन वह मीटर रिप्लेस कर दिया था। इसके लिए चौधरी दल सिंह जी से 50 रूपये वसूल किये गये ओर जब वह मीटर लैबोरट्री में टैस्ट हुआ तो उस में थोड़ा नुक्स निकला। इसलिए बाद में 40 रूपये चौधरी साहब को वापिस कर दिया गये और सिर्फ 10 रूपये रखे गये। दूसरी बात जब उनका मीटर खराब हुआ तो उसमें काफी नुक्स था और उनसे 272 रूपये चार्ज किये गये। जो इन्फर्मेशन या फिगर्ज इन्होंने दी हैं, मैं अन्दाजे से कह सकता हूं कि वह सारे जींद डिस्ट्रिक्ट के बारे में हैं। (चौधरी दल सिंह द्वारा विघ्न)

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, आप मेरी प्रार्थना मानिये, प्रश्न काल में कोई डिबेट नहीं हो सकती, कोई बहस नहीं हो सकती।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, जब चीफ मिस्टिर साहब मीटर जलने की तारीख बता सकते हैं और उनकी रप्लिेसमैंण्ट की तारीख बता सकते हैं और जितने रूपये वापिस किये गए, वह भी बता सकते हैं तो क्या कारण है कि वे पूछी गई सूचना हाउस को देने में असमर्थ हैं ?

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, मुख्य मंत्री जी ने सिर्फ एक ही सूचना के सम्बन्ध में बताया है परन्तु आपने जो सूचनाएं पूछी हैं वह विस्तारक`साथ पूछी गई हैं उस पर गवर्नमैंट एकदम उत्तर नहीं दे सकती उस पर काफी टाईम और लेबर लगेगी।

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, आनरेबल मैम्बर अगर इस बारे में सदन से बाहर किसी वक्त डिस्कस करेंगे तो उनसे सारी डिटेल में बातचीत कर ली जाएगी और वे डिपार्टमैंट की कोई कमजोरी मेरे नोटिस में लाएंगे तो मैं मान लूंगा। I will be the happiest man to redress the grievances of the Hon. Member and the public at large. I will never hesitate in doing that.

Prohibition in District Gurgaon

***32. Sh. K.N. Gulat:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to enforce prohibition in Gurgaon District; and

(b) if so, the period within which prohibition is likely to be so enforced?

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): (a) नहीं

(b) प्रश्न नहीं पैदा होता।

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, क्या आनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रोहिबिशन की बाबत उन्होंने अपने उत्तर में कहा है, वह ठीक है लेकिन क्योंकि आज हम सिलवर जुबली मनाने जा रहे हैं, आजादी की 25वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं तो .....

श्री अध्यक्ष: देखिये चौधरी साहब, प्रश्नकाल में कोई भाषण नहीं होना चाहिए इस सवाल का उत्तर आ चुका है 'प्रश्न पैदा नहीं होता' सो इसके बाद यह सप्लीमैन्ट्री पैदा ही नहीं होती।

चौधरी बंसी लाल: स्पीकर साहब, मैं इनकी यह बात भी मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन गवर्नमैंअ को रैवेन्यु चाहिए। इसके लिए अपोजीशन खुद बता दे कि और किस तरीके से आमदनी हो सकती है, हम वही करने के लिए तैयार हो जाएंगे और प्रोहिबिशन लागू करने में मुझ कोई एतराज नहीं होगा।

श्री के0एन0 गुलाटीः स्पीकर साहब, जो गली मुहल्लों में शराब की दुकानें खुल चुकी हैं वह तो बन्द हो सकती है।

चौधरी बंसी लालः तो फिर गुलाटी साहब पियेंगे कहां से ? (हंसी)

चौधरी शिवराम वर्माः स्पीकर साहब, अभी अभी आनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि हमें रैवेन्यु चाहिए तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन लोगों ने बुराईयों से ही रैवेन्यु कमाना है क्या वह किसी भले काम से ये लोग रैवेन्यु नहीं कमा सकते ? यह सरकार महात्मा गांधी की पालिसी को मानते हुए चलें तो इसे हरियाणा में तुरन्त नशाबंदी कर देनी चाहिए ताकि लोगों का चरित्र पतित न हो।

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, अपोजीशन की तरफ से कोई अच्दा सुझाव रैवेन्यु को मेक–अप करने के लिए आयेगा तो मैं मान लूंगा।

श्री अध्यक्षः वर्मा जी, ये कह रहे हैं कि अपोजीशन की तरफ से कोई अच्छा सुझाव आएगा तो ये मान लेंगे।

श्री उमेद सिंहः स्पीकर साहब, क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कालेजों, स्कूलों और अन्य धार्मिक स्थानों के साथ साथ जो शराब की दुकानें खुली हुई हैं, क्या उनको सरकार हटाने का विचार रखती है ?

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, बहुत हद तक हटाई गई हैं लेकिन कुछ इन्स्टीट्यूशन्ज के करीब रह गई हैं, अगली अप्रैल से इन इन्स्टीट्यूशन्ज के करीब कोई ठेका नहीं रहने दिया जायेगा।

Traif of Electricity for Government Tube wells

***105. Ch. Dal Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether the tariff rates on Government tube wells were increased in the year 1970 in the state; and

(b) if so, the reasons therefore together with the difference between the old and new rates?

Deputy Minister (Smt. Sharda Rani):

(a) Yes, from Kharif 1970.

(b) High generation expenses and increase in salaries of the staff were the main reasons for increasing the old rate of 25 N.P. to 38 N.P. per unit.

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में बताया है कि गवर्नमैंट ने ट्यबवैल्ज पर टैरिफ रेट्स खरीफ 1970 से बढ़ाए हैं और ये रेट 25 पैसे पर–युनिट से बढ़ाकर 38 पैसे पर–युनिट कर दिये गये हैं और ये इसलिए किया गया है क्योंकि स्टाफ की तनख्वाहें और पावर जनरेशन का खर्चा बढ़ गया है तो क्या चीफ मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा

करेंगे कि इस टैरिफ को बढ़ाने से हर माह कितना रूपया इकट्ठा होता है और उसमें से कितना पैसा स्टाफ को देते हैं ?

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, अगर आनरेबल मैम्बर पूरा एकाऊंट जानना चाहें तो हम उनको भेज देंगे। हमें इसके भेजने में कोई एतराज नहीं है लेकिन यह हकीकत है कि पहले जब 25 पैसे रेट था तो 28 और 30 लाख के करीब नुकसान होता था। इसके बाद चीफ इंजीनियर ने कहा क्योंकि यह कारपोरेशन का काम है और कोई भी कारपोरशन घाटे में नहीं चल सकती, उस रेट पर यह नो प्राफिट नो लोस बेसिज पर भी रन नहीं कर सकती थी इसलिए 25 पैसे से 38 पैसे पर–युनिट रेट बढ़ा दिया गया। रेट बढ़ाकर भी यह कारपोरशन नो प्रोफिट नो लोस पर ही काम कर रही है। फिर डेप्रीसिऐशनज भी होती है, इन्ट्रेस्ट भी पड़ता है ट्यूबवैल की एज क्या है, पाईप की एज क्या है इस बारे में भी देखना होता है और भी कई बातें देखनी होती हैं। हम इन सब चीजों का हिसाब लगाने पर इस नतीजे पर पहुंचे हैं। अगर फिर भी आनरेबल मैम्बर चाहें तो हम इनसे पूरी पोजीशन डिस्कस करने को तैयार हैं।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, जैसे कि चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि बिजली की दरों का रेट 25 पैसे से 38 पैसे पर–यूनिट कर दिया गया है और यह सब कुछ स्टाफ की सैलरीज में बढ़ौतरी हुइ हैं, और दूसरे जो खर्चे हैं उनको देखते हुए किया गया है तो क्या चीफ मिनिस्अर साहब यह बताने की कृपा करेंगे

कि क्या यह बात ठीक है कि इन्डस्ट्री ज की बाबत आपके रेट घटे हैं और एग्रीकलचर ट्यूबवैल्ज के लिए बढ़े हैं ?

चौधरी बंसी लालः घटे किसी के लिए नहीं, सब के लिये बढ़े हैं।

Widow Home at Faridabad

***33 Sh. K.N. Gulati:** Will the Minister for Development be pleased to state the time by which the rooms of widow homes will be allotted to the poor widows already living in the rooms at N.I.T. Faridabad?

Development Minister (Sh. Shyam Chand): The building of Widow Homes of Kasturba Sewa Sadan, Faridabad are the property of the Government of India. Consequently the question of transferring the ownership of the rooms to the allottees was taken up with them. Now they have replied that the matter may be finalised at State Government's level. Accordingly the matter is being processed further and it is likely to be finalised shortly.

श्री के0एन0 गुलाटीः स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि देर से रहने वाली विडोज को जब हाउस एलाट किये जाएंगे तो क्या उनसे पैसों की रकम किश्तों में लेंगे या कि लम्पसम रकम ली जाएगी ?

Sh. Shyam Chand: Since the price will be small, it will be paid in lump sum and not in installments.

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि जो विडोज हैं, वह कब स इन हाउसिज में रह रही हैं ?

Sh. Shyam Chand: Since 1947.

श्री फूल चन्द (रोहट): क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि क्या विडोज को मकान देने की यह स्कीम हरियाणा सरकार की है ?

Sh. Shyam Chand: This is actually not our scheme. This is the scheme of the Government of India ad there is no such scheme.

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि जो विडोज 1947 से इन हाउसिज में रह रही है, उनको इनका ओनर क्यों नहीं बनाया गया ?

Sh. Shyam Chand: Up to 1967 the ownership and possession was with the Government of India. Their possession was transferred to the State Government in 1964 and we are taking immediate steps to transfer the ownership to these tenants.

श्री के0एन0 गुलाटीः स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि जब तक विडोज को हाउसिज की एलाटमैंट नहीं होती, कम्प्लैक्स की तरफ से क्या उन्हें शहरी सहूलियात दी जाती है या नहीं ?

Sh. Shyam Chand: They are being made available by the Municipality.

श्री सीस रामः स्पीरक साहब, यह सहूलियात विडोज के लिए ही हैं या कि रन्डवों के लिए भी हैं ?

श्री अध्यक्षः क्या आप भी इस कटैगरी में आते हैं ? (हंसी)

श्री अमर सिंहः क्या वजीर साहब बताने की कृपा करेंगे कि जिस कीमत पर यह मकानात ट्रांसफर होने हैं वह क्या होगी ?

Sh. Shyam Chand: It will be from Rs. 1100 to Rs. 1500 per quarter.

चौधरी चांद रामः यह बताया गया है कि उन मकानात की कीमत जिन में विडोज सन् 1947 से रह रही है 1100 से 1500 रूपए होगी। तो मैं वजीर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि क्या गवर्नमैंट इस बात पर विचार करके कि यह कीमतें 1947 में कम थीं और अब चूंकि ज्यादा हैं इसलिए इनको कम करवाने की कोशिश करेगी ?

Sh. Shyam Chand: Mr. Speaker, Sir this is a matter which wass delayed by Ch. Chand Ram when he was incharge of the Department. So, he is more responsible for this than I am.

Ch. Chand Ram: If I remember correctly, we had takne a decision that these should be distributed free of cost.

श्री अमर सिंहः क्या वजीर साहब बताने की कृपा करेंगे कि आन दी पार्ट आफ दी गवर्नमैंट डिले होने के कारण ही क्या विडोज को उन मकानात की कीमतें ज्यादा देनी पड़ेगी ?

Sh. Shyam Chand: Mr. Speaker, I have already told the House that since 1964, the possession lies with this Government and before that the right of ownership and possession was with the Government of India. Weare now pursuing the matter with Government of India and we hope that the matter will be finalized within a few months.

चौधरी चांद रामः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि ये जो होम्ज हैं वे हरियाणा सरकार ने एक्वायर किए हैं या सैंटर ने उनको कोई कीमत मुकर की है जो कि हरियाणा सरकार ने देनी है ?

Sh. Shyam Chand: The Hon. Member did not hear my answer properly.

चौधरी चांद रामः आप फिर बता दें मैं आप से दोबारा सवाल पूछ लेता हूं। क्या वजीर साहब बताएंगे कि इन मकानों को अब जो 1100 और 1500 रूपए में बेच कर, जो रूपया आएगा क्या वह रूपया सैंट्रल सरकार के फण्ड्ज में जाएगा या हरियाणा सरकार के फण्ड्ज में जाएगा।

Sh. Shyam Chand: The buildings of the Widow Homes of Kasturba Sewa Sadan, Faridabad, are the property of the Government of India and not that of the State Government.

श्री अमर सिंहः मंत्री महोदय ने बताया था कि सन् 1964 से इन मकानों का पोजैशन हरियाणा सरकार के पास है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार उन मकानों की कीमत सैटर को पे कर चुकी हैं या इसने अभी करनी है और अगर सैंटर को कुछ रूपया पे किया है तो अब तक कितना किया है ?

Sh. Shyam Chand: These buildings are the propety of the Government of India. We will only supervise the working of these institutions. The money is to go to the Government of India.

Pandit Chiranji Lal Sharma: May I know, Sir, whether the ownership or the possession of these homes, has been transferred to the State Government?

Sh. Shyam Chand: Not ownership, but only the possession.

(इस समय चौधरी चांद राम बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्षः यह कीमत तो चौधरी साहब विधवाओं ने देनी है।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहब ने कहा कि हरियाणा गवर्नमैंट के पास उन मकानात का पोजैशन ट्रांस्फर हुआ था लेकिन हकीकत में पोजैशन तो इनमेट्स के पास हैं, उनके पास है जो विडोज वहां पर रह रही है। इसलिए यह

कैसे समझा जाए कि हरियाणा सरकार को पोजैशन ट्रांस्फर हुआ है।

श्री श्याम चन्दः स्पीकर साहब, चौधरी साहब बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः तो फिर आप समझा दीजिए उनको।

Sh. Shyam Chand: Acturally, we are not to make any payment to the Government of India. We are simply the Agents of the Cetral Government, because we are only supervising the working of these institutions, who have to the Government of India.

श्री अध्यक्षः ठीक है, अब तो बात साफ हो गई है।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साह,ब साफ कैसे हाो गया, मेरा ख्याल है दुनिया भर की डिक्शनरीज तलाश करनी पड़ेंगी पोजैशन वर्ड को डीफाईन करन के लिए। पोजैशन जहां तक मैं समझता हूं उस का होता है जो मकान में रहता हो। इसलिए गवर्नमैंट के पास पोजैशन कैसे हुआ ?

Sh. Shyam Chand: I have told the House that the possessions of these Homes were transferred to the Government of Haryana in 1964, but the ownership still lies with the Government of India. We are simply their Agents to supervise the working of these institutions at Faridabad. We have been asked by the Government of India to sell this proprty to the tenants. And, las week there was a meeting of

my Secretary and the Director of Social Welfare with these tanants. They have agreed to purchase the homes at a cost from Rs. 1100 to Rs. 1500 per quarter. The money will be given to the Rehabilitation Department, Government of India.

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): I think, the meaning of the answer is that the control of these buildings was handed over to the Government of Haryana and that the question of transferring this property to the widows was taken up with the Government of India. The Government of India then gave instructions to the State Government that the amount would go to them. And, the sale deed, or whatever it is, any agreement or terms thereto, will be processed by the State Government. But, the real ownership still remains with the Government of India.

श्री अमर सिंहः आनरेबल मिनिस्टर साहब ने बताया है कि सन् 1947 से वे मकान विडोज के पोजैशन में है और उसी वक्त से उनकी ओनरशिप चली आ रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो कीमत विडोज से लम्पसम ली जाएगी क्या वह 1947 की कीमतों के हिसाब से ली जाएगी या कि जिस दिन से अब फैसला हुआ है उस दिन की कीमतों के हिसाब से ली जाएगीी त्र

Sh. Shyam Chand: Actually, they are not the onwners since 1947.

Ch. Bansi Lal: They are the occupants.

श्री अध्यक्षः ओनरशिप तो सैन्ट्र गवर्नमैंट के पास है।

चौधरी चांद रामः क्या मंत्री साहब बताएंगे कि चूंकि 1100 और 1500 रूपए की कीमत ज्यादा है इसलि सरकार सैट्रल गवर्नमैंट से इसको कम रवाने की कोषिश करेगी।

Sh. Shyam Chand: If the Government of India agrees to recover the money in installments, we will have no objection.

श्री अमर सिंहः क्या आनरेबल मिनिस्टरसाहब यह बताने की कृपा करेंगे, जैसा कि विडोज के लिए गवर्नमैंट खास ध्यान दे रही है, उस पालिसी के मुताबिक क्या हरियाणा सरकार गवर्नमैंट आफ इंडिया से प्रार्थना करेगी कि वह विडोज को मुफ्त मकानात दे दे ?

Sh. Shyam Chand: Actually, the Government of INida did not agree to this suggestion.

Burnt Transformers

***106. Ch. Dal Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) the district wise number of burnt transformers in the State in the years 1969-70 and 1970-71; and

(b) the dates on which the transformers referred to in part (a) above were burnt together with the dates of their replacement in each case?

उपमंत्री (श्रीमती शारदा रानी): (ए) तथा (बी) : सूचना इकट्ठी करने में जो समय और पश्रिम लगेगा उससे विशेष लाभ न होगा।

चौधरी दल सिंह: स्पीकर साहब, मेरा सवाल पूछने का मुद्दा सिर्फ इतना ही था कि गवर्नमैंट की इस तरफ तवज्जुह दिलाई जा सकें। ट्रांसफारमर जहां जहां पर जले हैं उनकी दो दो महीनों तक रिप्लेसमैंट नहीं हुई जिससे किसानों का बहुत नुक्सान हुआ है। यह बात मैं गवर्नमैंट के ध्यान में लाना चाहता था ताकि उनकी रिप्लेसमैंट कर दी जाए।

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, डिप्टी मिनिस्टर साहिबा ने चौधरी साहब से ज्यादती कर दी है, उनको जवाब नहीं दिया, इसिलए उनको मैं जवाब दे देता हूं। हकीकत यह है कि ट्रांसफारमर्ज के बारे में चौधरी साहब ने थोड़ी ज्यादा डिटेल्ज पछ लीं जिसकी वजह से उनको सरकार की तरफ से ऐसा जवाब आ गया। खैर ट्रांसफारमर्ज के बारे में जो फैक्चुयल पोजीशन है वह आपके जरिए मैं सदन को बताना चाहूंगा। ट्रांसफारमर्ज सन् 1969–70 में टोटल 11760 इन्सटाल हुए जिसमें से 1051 डैमेज हुए। और सन् 1970–71 में टोटल ट्रांसफारमर्ज इन्सटाल्ड थे 15236 जिस में से 1309 डैमेज हुए, यानी जले। इन सब का जिलावार बेकअप इस तरह से है:–

	जो 1969–70 में	जो 1970–71 में

	डैमेज हुए	डैमेज हुए
अम्बाला	106	102
करनाल	305	343
रोहतक	131	159
गुड़गांव	196	261
जींद	47	43
हिसार	162	261
महेन्द्रगढ़	104	140

तो स्पीकर साहब, जो ट्रांसफारमर्ज जले हैं उनकी डिस्ट्रिक्टवाईज ब्रेकअप यह है। And, the reason for the burning of these transfomers are the completion of normal working lines, fluctuation on the system, over loading, lightning and failure of the protection system.

चौधरी रिजक रामः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, यहां पर मीटरों और ट्रांसफारमर्ज के बारे में दो सवाल आए और उनके बारे में डिप्टी मिनिस्टर साहिबा ने फरमा दिया कि जवाब देने में बड़ी दिक्कत आयेगी, समय ज्यादा लगेगा

और कोई फायदा नहीं होगा लेकिन उन दोनों का जवाब चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ी तफसील के साथ दे दिया और

चौधरी बंसी लालः मैंने कंट्राडिक्ट तो नहीं किया।

चौधरी रिजक रामः मैं अर्ज करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि क्या बिजली बोर्ड की तरफ से डिप्टी मिनिस्टर को अलहदा जवाब भेजा जाता है और चीफ मिनिस्टर साहब को अलहदा दूसरा जवाब भेजा जाता है क्योंकि .....

श्री अध्यक्षः आप ही बताएं कि यह प्वायंट आफ आर्डर कैसे बनता है और आप किस रूल के तहत यह प्वायंट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं ?

चौधरी रिजक रामः इसके बारे में जो रूल है वह तो है ही लेकिन आप यह बात बड़े सीरियसली सुनें कि इस सरकार का एक मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर तो यह जवाब देता है कि समय ज्यादा लगेगा और कोई फायदा नहीं होगा लेकिन उसी का जवाब चीफ मिनिस्टर साहब बड़ी तफसील के साथ दे देते हैं। तो मेरी आप के सामने गुजारिश यह है कि क्या गवर्नमैंट में कुआर्डीनेशन नहीं है कि एक मिनिस्टर कुछ जवाब दे और दूसरा कुछ और जवाब दे ?

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, आप पुराने पार्लियामैंटेरियन हैं आप बताएं कि यह किस प्रकार से प्वायंट आफ आर्डर है ? (हंसी)

चौधरी रिजक रामः यह आप बाद में देख लेना कि किस प्रकार से बनताहै लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूं वह आप सुन लें .....

श्री अध्यक्षः यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। आप तशरीफ रखें।

चौधरी रिजक रामः चलो मैं दूसरा प्वायंट आफ आर्डर रेज कर लेता हूं (हंसी) तो मेरी दूसरी गुजारिश यह है कि यहां इस किस्म का जवाब आए कि सरकार मजबूर है समय ज्यादा लगेगा और कोई फायदा नहीं होगा तो मेरा ख्याल है कि जहां सरकार इस तरह से जवाब देने से इवेड करे तो स्पीकर को अख्तियार है गवर्नमैंट को डायरैक्शन देने का कि .....

श्री अध्यक्षः मुझ पता है कि मेरा अख्तियार क्या है और अगर जरूरत पड़ी तो उसका इस्तेमाल भी करूंगा लेकिन इस वक्त जो आप प्वायंट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं। यह बनता नहीं है और न ही ऐसी कोई बात है।

चौधरी बंसी लालः मैंने जो जवाब दिया है कि उसकी बिना पर आनरेबल मैंबर ने हाउस को मिसलीड करने की कोशिश की है। डिप्टी स्पीकर मिनिस्टर ने जो जवाब दिया हे वह सही दिया है और कोई गलती नहीं की है। मैंने जो जवाब दिया है वह सिर्फ इस बात का दिया है जो बिल्कुल रूटीन की बात है और

डैटवाइज फिग्गर्ज और रीजन्ज वगैरह मैंने नहीं दिये हैं क्योंकि इतनी लम्बी चौड़ी इत्तलाह कलैक्ट नहीं की जा सकती।

The Hon. Member has tried his level best to mislead the House and, I am sure, the House is not misled by the speech of the Hon. Member. And he has also tried this level best to deviate the House from right course to a wron course. A lot of time labour is involved in collecting all the information asked for. I have given the information about the figures only so that there is no sensation in this House with regard to the burning of transformers. कि पता नहीं कितने ट्रांसफारमर्ज और कितने मीटर जल गये इसलिये मैंने टोटल फिग्गर्ज बताये हैं और यह नीं बताया कि किस तारीख को कौन सा किस लैबौरेटरी में गया, किस तारीख को किस आदमी से कितने रूपये लिये और किस तारीख को किसे कितने रूपये वापिस किये और यह सारे फिग्गर्ज नाप ही कलैक्ट की गई। इसलिए आनेरबल मैंबर का यह कहना कि डिप्टी मिनिस्टर ने कुछ जवाब दिया और चीफ मिनिस्टर ने कुछ और जवाब दे दिया निराधार है। हम दोनों का जवाब एक दूसरे से मिलता है और कोई गलत बात नहीं हुई है।

(इस समय बहुत सारे मैंबर साहिबान खड़े हो गये।)

श्री अध्यक्षः देखिये जो उत्तर मुख्य मंत्री जी ने दिया है उससे यदि कोई सप्लीमैंटरी पैदा होता हो वह तो करें लेकिन बहस करने की इजाजत मैं नहीं दूंगा।

श्रीमति चन्द्रावती: मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि ट्रांसफारमर्ज जलने का कारण बिजली की फ्लक्चुएशन है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे यह फ्लक्चुएशन कम हो सके ?

चौधरी बंसी लाल: इसका तो यही है कि सप्लाई किसी तरह से रैगुलर हो सके।

Pandit Chiranji Lal Sharma: May I ask the Hon. Chief Minister as to what a transormer usually costs?

Ch. Bansi Lal: The cost of a transformer varies. I have not got the figures. Some small transformers cost us from Rs. 3000 to Rs. 4000 each. The bigger ones cost much higher. It all depends upon the capacity of the transformer.

Pandit Chiranji Lal Sharma: May I ask the Chief Minister as to what measures the Government or the State Electricity Board propose to take to discourage this practice, this system of burning of transformers?

Ch. Bansi Lal: We are doing our best.

चौधरी रिजक राम: यह जो इतने ट्रांसफारमर्ज जलते हैं क्या इसका यह भी एक कारण है कि वोल्टेज लो हैं और प्रैशर ज्यादा है ?

चौधरी बंसी लाल: जस्ट पासीबल, ऐसा भी हो सकता है।

चौधरी रिजक रामः यह जो इतने ट्रांसफारमर्ज जले हैं क्या इसकी इन्क्वायरी कराई गई है कि इसका क्या कारण है ? लो वोल्टेज की वजह से ऐसा हुआ है या जो माल खरीदा गया वह खराब है और क्या सस्ता खरीदा जाने के कारण ऐसा हुआ है या उनकी पूरी तरह से देखभाल नहीं हुई ?

चौधरी बंसी लालः जहां जो चीज खराब होती है उसे उसी वक्त लैबोरेटरी में लले जाते हैं और उसे टैस्ट करते हैं और यह भी कोशिश करते हैं कि आयंदा इस किस्म की घटना न हो, पूरी जांच पड़ताल की जाती है और मुनासिब ऐक्शन भी लिया जाता है।

श्री अमर सिंहः यहां बताया गया है कि 1970–71 में 1309 और 1969–70 में 1051 ट्रांसफारमर्ज जले हैं। क्या इनन दोनों सालों के बारे में चीफ मिनिस्टर साहब के पास इनफर्मेशन है कि क्या यह पावर ज्यादा होने की वजह से जले या माल गलत और घटिया खरीदने की वजह से यह नुक्सान हुआ है ?

चौधरी बंसी लालः जो वजूहात थीं वह मैंने बता दी हैं। माल कोई गलत नहीं खरीदा गया अगर गलत खरीदा गया होता तो पहले दिन ही जल जाते। कोई माल गलत नहीं खरीदा गया माल सारा स्टैडर्ड क्वालिटी का खरीदा गया है।

चौधरी दल सिंहः क्या यह सच है कि यह इसलिए जले कि उनके अन्दर तेल नहीं था ?अगर यह ठीक है तो क्या उन

कर्मचारियों के खिलाफ जिन्होंने यह कोताही की है सरकार ऐक्शन लेने के लिए तैयार है ?

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, मेरे पास जो वजूहात आई हैं वह मैंने बता दी हैं अगर मैम्बर साहब इस किस्म की कोई बात मेरे नोटिस में लायेंगे कि किस अधिकारी की गलती की वजह से ट्रांसफारमर्ज जले हैं तो गवर्नमैंअ जरूर ऐक्शन लेगीं।

श्री अमर सिंहः क्या चीफ मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि इन दो सालों में जो यह मीटर और ट्रांसफारमर्ज जले हैं इनके बारे में इन्क्वायरी करने पर कितने केसों में यह साबित हुआ है कि वे महकमा वालों के पूरी ड्यूटी न करने की वजह से जले हैं ?

चौधरी बंसी लालः ऐसा कोई केस मेरे नोटिस में नहीं आया है।

चौधरी रिजक रामः क्या सरकार ने किसी साल कोई इन्क्वायरी की है कि इसका असल कारण क्या है ? Did the Government or the Electricity Board set up any enquiry Committee to go into the causes of burning of transformers and to find out whether the material was of sub-standard or there was negligence on the part of thhe officials? Has the Government conducted or set up any such enquiryy.

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि जहां कहीं ट्रांसफारमर्ज और मीटर जलता है बोर्ड उसकी इनक्वायरी करवाता है और सारे टैस्ट वगैरह कराता है

और जांच पड़ताल करता है और अब तो यहां तक कर दिया गया है कि हर सरकल में ऐस0ई0 मौके पर जाता है और एक एक चीज को देखता है। बोर्ड पूरा इन्तजाम करता है कि कोई किसी किस्म की गलती डिपार्टमैंट की न हो। माल न सब–स्टैंडर्ड खरीदा गया है और न खरीदा जाता है।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब के जवाब के पेशेनजर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर एक ट्रांसफारमर्ज की मिनिमम कीमत 4000 रूपये लगाएं तो दो सालों में 2300 ट्रांसफारमर्ज जो जले हैं की कीमत तकरीबन एक करोड़ रूपया बनती है। मेरे विचार के मुताबिक एक ट्रांसफारमर्ज की कीमत कम से कम 4000 रूपये तो जरूर होगी और 2300 के करीब ट्रांसफारमर्ज जले हैं। इस हिसाब से जो एक करोड़ रूपये का नुक्सान हुआ है क्या इसकी स्पैशल इन्क्वायरी करवाने की कृपा करेंगे ताकि आगे के लिए इस नुक्सान को न होने दिया जाये ? वैसे तो हाउस में कई तरह के सवालात होते हैं लेकिन यह एक ऐसा सवाल है जिस पर सरकार गौर करें।

चौधरी बंसी लालः आनरेबल मैंबर ने तो बड़ी खूबसूरती के साथ भाषण किया है लेकिन यह चीज भूल गये हैं कि जितने ट्रांसफारमर्ज जलते हैं वे सारे के सारे नुकसान में नहीं जाते। जो ठीक हो सकते हैं उनको ठीक करवाकर इस्तेमाल करते हैं।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहब, ने बताया कि खराब हुए ट्रांसफारमरों को ठीक करके इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसी सन्दर्भ मे चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी बड़े ट्रांसफारमर के खराब होने की बाबत कोई सूचना सरकार को मिली है जिसकी कीमत लगभग दो लाख रूपये हो ? क्या उसके बारे में कोई इन्क्वायरी करवाई गई है कि वह क्यों जल गया ? अगर इन्क्वायरी करवाई है तो उसकी इन्क्वायरी रिपोर्ट पर क्या सरकार ने कोई ऐक्शन लिया है ?

चौधरी बंसी लालः मुझे जबानी याद नहीं। अगर कोई ऐसा केस होगा तो रिकार्ड देख कर आनरेबल मैंबर को बता सकता हूं।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि हर खराब हुए ट्रांसफारमर की इन्क्वायरी करके बाकायदा देखा जाता है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या चीफ मिनिस्टर साहब इस बात की इन्क्वायरी करने के लिए तैयार हैं कि कुल कितने मीटर खराब हुए, इनमें से कितने ठीक हुए और ठीक होकर इस्तेमाल हुए ? क्या वे इस मामले की इन्क्वायरी गवर्नमैंट इन्ट्रैस्ट या पब्लिक इन्ट्रैस्ट में करवाने के लिए तैयार है ?

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, इसका जवाब पहले आ चुका है।

Ch. Mehar Chand: May I know, Sir, the percentage of burnt transformers to the total number of tranformes in the State of Haryana and how the losses in Haryana State compare with those in the other States of India?

चौधरी बंसी लालः जो ट्रांसफारमर हमारी स्टेट में जले हैं वह कुल ट्रांसफामर्ज के दस परसैंट कम हैं। बाकी स्टेट्स का हमें पता नहीं। आनरेबल मैंबर ने यह ठीक सुझाव दिया है, हम दूसरी स्टेटों से इन्फर्मेशन मंगवाने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी परसैंटेज है।

Pandit Chiranji Lal Sharma: May I know, Sir, the number of transformers which were got repaired after they were burnt?

Ch. Bansi Lal: I am sorry such figures are not with me at presennt I will supply the same later, if the Hon. Member so desires.

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, रूरल एरियाज में जो ट्रांसफामर्ज हैं, जब वे जल जाते हैं तो उनको रिप्लेस करने में अक्सर अधिक समय लगता है। क्या चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में ऐसे केसिज हैं जिन को रिप्लेस करने में बहुत अधिक समय लगा हो ?

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, हमारी स्टेट के हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है। अगर किसी गांव में ट्रांसफामर जल जाता है तो उसकी सूचना देना, सूचना देने वाले व्यक्ति पर

निर्भर करती है। वह सम्बन्धित अधिकारियों को सूचना देने में एक दिन लगाता है या दो दिन लगाता है, यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। इसके बाद यह भी देखा जाता है कि मौक पर नया ट्रांसफामर हासिल होता है या नहीं होता। अगर किसी एक आध केस में कोई डिले हो गई हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जब हमारे इलैक्ट्रिसिटी अधिकारियो को ट्रांसफामर खराब होने की खबर पहुंचती है कि फलां जगह का ट्रांसफामर जल गया है तो वे अपनी तरफ से जल्दी से जल्दी ठीक करने या रिप्लेस करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

Strength of Staff in the Excise and Taxation Officer Faridabad.

64. Sh. K.N. Gulati: Will the Chief Minister b pleased to state:-

(a) the number of assesses registered at Faridabad under the Punjab Gerneral Sales Act, 1948, the Punjab Property Tax Act, and the Punjab Professions, Trades, Callings and Employments Taxation Act, up to 30th June, 1972, separately;

(b) the total strength of staf in the Excise and Taxation Office at Faridabad Category-wise; and

(c) whether the Government proposes to increase the strength of the staff; if so, when?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal):

(a) (i) Punjab Gerneral Sales Tax Act 2426

(ii) Punjab Urban Immovable Propety 7144
Tax Act.

(iii) Punjab Professions, Trades Callings 1963
and Employments Taxation Act.

(b)

(i) Excise and Taxation Officers 2

(ii) Assistant Excise and Taxation Officers. 3

(iii) Taxation Inspector 7

(iv) Excise Inspectors. 3

(v) Clerical and Ministerial staff 30

(c)

(i) No.

(ii) Question does not arise

Arms Licences

67. Ch. Dal Singh: Will the Minister for Home be pleased to state:-

(a) the names and addresses of such persons whose arms licences including revolvers, pistols and 12 bore-guns tec., have been cancelled by the District Magistrate Jind, in

sub-divisions of Jind and Narwana, separately during the years 1969-70, 1970-71, 1971-72, respectivelyh;

(b) the names and addresses of persons who applied for arms licences in Jind and Narwana Sub-Division in the years 1969-70, 1970-71 and 1971-72;

(c) the names and addresses of persons who have been issued arms licences in Jind and Narwana sub-divisions during the years 1969-70, 1970-71 and 1971-72 respectively; and

(d) the names and addresses of persons whose application for arms licences were rejected by the S.P. Jind during the years 1969-70, 1970-71 and 1971-72 together with the report of S.H.O. concerned?

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

शोक प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, हमारे सदन के पिछले अधिवेशन से लेकर अब तक के समय के दौरान हमारे देश के कई साथी हम से बिछड़ गए है। इन साथियों में से महामहिम भूटान नरेश, जिम्मे दोरजी वानचुक एक महान् व्यक्ति थे। वे 21 जुलाई, 1972 को इस संसार से चल बसे। भूटान नरेश ने अपने शासनकाल में प्रजातन्त्र को कायम करने की कोशिश की। इन्होंने 27 अक्तूबर, 1952 को शासन की बागडौर सम्भाली थी।

जैसे ही इन्होनें शासन की बागडोर सम्भाली, देश में नैशनल असैम्बली कामय की और वह हर ईशू पर हमारे देश का साथ देते रहे। भूटान नरेश के इस दुनिया से चल बसने पर हमें गहरा दुःख है और इनके परिवार के साथ और भूटान के लोगों के साथ हमें बड़ी सानुभूति है। मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि यह सदन भूटान के लोगों तथा दिवंगत नरेश के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के साथ हार्दिक सहानुभूति प्रकट करें।

स्पीकर साहब, इसके साथ ही साथ हमारे बहुत बड़े पब्लिक लीडर श्री दामोदर संजीवैया, जो इस दफा भारतीय कांग्रसे के प्रधान रहे और एक दफा चीफ मिनिस्टर भी रहे और जो मद्रास असैम्बली के मैंबर भी रहे, सैन्ट्रल गवर्नमैंट में इन्डस्ट्री मिनिस्टर तथा लेबर मिनिस्टर के पद पर भी रहे और पार्लियामैंट के मैंबर आखिर तक बने रहे, जिनका जन्म 14 फरवरी, 1921 को हुआ, उनका निधन 7 मइ, 1972 को हुआ जिसके लिए हमें बहुत दुख हुआ हैं। मैं इस सदन से प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करते हुए एक प्रस्ताव पास करके भेजा जाए।

इसके साथ ही साथ मैं बख्शी गुलाम मुहम्मद, भूतपूर्व प्रधान मंत्री, जम्मू एंड कश्मीर स्टैट के निधन पर गहरा दुःख प्रकट करता हूं। इनका निधन 15 जुलाई, 1872 को हुआ और जन्म 20 मई, 1907 को हुआ था। जब इन्होंने जिन्दगी शुरू की तो ये लद्दाख में टीचर थे और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के

नैशनल मूवमैंट में हिस्सा लेते रहे। ये 1948 से लेकर 1953 तक कश्मीर गवर्नमैंट में डिप्टी प्राईम मिनिस्टर रहे और 1953 के बाद वे कश्मीर के प्राईम मिनिस्टर के पद पर रहे और 1964 त उसी पोस्ट को होल्ड करते रहे। 1967 में वे लोक सभा के सदस्य चुने गए। ये बड़े देशभक्त थे और देश सेवा में उनकी बड़ी भारी कंट्रीब्यूशन थी। उनके निधन पर हमारे देश को भारी नुकसान हुआ है।

इसी प्रकार श्री कमल नयन बजाज, भूतपूर्व संसद सदस्य के निधन पर हमें बड़ा दु:ख है। इनका निधन 2 मई, 1972 को हुआ और जन्म 23 जनवरी, 1915 को हुआ था। ये हमारे देश के महान् नेता थे। ये जमना लाल बजाज के सुपुत्र थे। इन्होंने नैशनल असैम्बली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1957 से 1972 तक लोक सभा के सदस्य रहे। ये गांधी स्मारक निधि तथा कस्तूरबा स्वास्थ्य समिति वार्धा के ट्रस्टी थे।

इसी प्रकार श्री इन्दुलाल याज्ञिक, संसद सदस्य के निधन पर अथाह दु:ख हुआ। इनकी मृत्यु 15 जुलाई, 1972 को हुई तथा जन्म 22 फरवरी, 1892 को हुआ था। 1912 में इन्होंने एल0एल0बी0 की परीक्षा पास की और वकालत शुरू कर दी। इसके बाद मये महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह आन्दोलन में हिस्सा लेले रहे। 1957 से लेकर अब तक वे लोक सभा के मैंबर चले आ रहे थे।

इसी प्रकार श्री पृथ्वी राज कपूर, जो पहले राज्य सभा के मैंबर रहे, का निधन 29 मई, 1972 को हुआ और जन्म 3 नवम्बर, 1906 को हुआ था। ये पार्लियामैंट के नौमीनेटिड मैंबर कई साल तक रहे। 1969 में इन्हें पदम भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। फिल्मी दुनियां में इन्होंने विशेष गौरव प्राप्त किया।

इनके साथ ही साथ डा0 पी0वी0 काणै की मृत्यु पर हमें बहुत दु:ख है। ये बम्बई विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति थे। इनका जन्म 7 मई, 1880 में हुआ और निधन 18 अप्रैल, 1972 को हुआ। बम्बई यूनिवर्सिटी से एल0एल0बी0 की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने वकालत शुरू कर दी। ये संस्कृत के बहुत बड़े स्कौलर थे। बम्बई विश्वविद्यालय में 1947 से लेकर 1949 तक वाईस चांसलर रहे और पैरिस इस्तंबोल एवं कैम्ब्रीज में अन्तराष्ट्रीय कांग्रेस आफ ओरियण्टलिस्ट के अधिवेशनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये नौमिनेटिड मैंबर की हैसियत से 1933 से 1959 तक पार्लियामैंट के मैंबर बने रहें। 1963 मे उनको भारत रत्न की उपाधि मिली।

प्रोफैसर पी0सी0 महलनोबिस, प्लानिंग कमीशन के भूतपूर्व सदस्य थे। इनका जन्म 29 जून, 1893 को हुआ और निधन 28 जून, 1972 को हुआ। इन्होंने कलकता यूनिवर्सिटी से ग्रैजुएशन की और उसके बाद मास्टर आफ आर्टस की डिग्री 1915 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ली। इसके बाद वे कई स्फीयर्ज में बड़ी

कामयाबी के साथ काम करते रहें। ये प्लानिंग कमीशन के मैंबर रहे और गवर्नमैंट आफ इंडिया की यूनियन कैबिनिट के स्टैटिस्टिकल ऐडवाइजर भी रहे। 1968 में इन्हें पदम भूषण की उपाधि मिली थी।

सेठ राधा किशन, जो अमृतसर के रहने वाले थे, उनका जन्म 11 नवम्बर, 1905 और निधन 12 अप्रैल, 1972 को हुआ। उन्होंने नैशनल मूवमैंअ में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जल्लियांवाला बाग ट्रैजेडी में भी एक कांग्रेसी वालटीयर की हैसियत से उन्होंने काम किया था। सेठ राधा किशन म्यूनिसिपल कमेटी, अमृतसर, के प्रेजीडैन्ट भी कई साल तक रहे। वे अमृतसर सिटी कांग्रेस और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के भी प्रेजीडैन्ट रहे।

राय बहादुर बद्री दास हमारे कंट्री के माने हुए ऐडवोकेट्स में से एक थे। उनका जन्म 2 अप्रैल, 1874 को हुआ और उनका निधन 13 जून, 1972 को हुआ। स्पीकर साहब, आई0एन0ए0 के ट्रायल के समय, एक डिफैंस कमेटी बनी थी जो हिन्दुस्तान के 9 बड़े–बड़े वकीलों की एक कमेटी थी, जो आई0एन0ए0 के हमारे पर्सोनल्ज को डिफैन्ड कर रही थी और पंडित जवाहर लाल नेहरू उन 9 ऐडवोकेट्स में से एक थे जो उस कमेटी के चेयरमैन थे और राय बहादुर बद्री दास ऐक्टिव ऐडवोकेट उन नो आदमियों के पैनल मे थे। राय बहादुर बद्री दास ट्रिब्यून के ट्रस्ट के चेयरमैन भी रहे। वे कन्या महाविद्यालय तथा दोआबा कालेज जालन्धर के अध्यक्ष थे और

गुलाब देवी टी0बी0 अस्पतला, जालन्धर के चेयरमैन थे। राय बहादुर बद्री दास ऐसे व्यक्तियों में से हमारे समय में हुए हैं जिनको हम आसानी से नहीं भूला सकते।

डा0 पी0एस0 लोकनाथन का जन्म 10 अक्तूबर, 1894 में हुआ और निधन 5 मई, 1972 को हुआ। ये इंडियन कौंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्ज के वाईस प्रैजीडैन्ट थे। वे प्रशांसकीय स्टाफ कालेज, हैदराबाद के बोर्ड आफ गवर्नर्ज के मैंबर भी रहे। इन्होंने कई किताबें लिखीं जैसे इंडस्ट्रियल वैल्फेयर इन इंडिया और इंडस्ट्रियल आग्रेनाइजेशन इन इंडिया ऐंड जापान इंडस्ट्रीज आदि।

तो स्पीकर साहब, इन सब महानुभावों के निधन पर हमें बड़ा दुःख है और मैं सदन से आप के थरू प्रार्थना करूंगा कि इन दिवंगत नेताओं के शोक संतप्त सदस्यों से हम सहानुभूति प्रकट करें।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, परसों जो एयर क्रैश हुआ था उसमें एक एम0पी0 की डैथ भी हुई है। उनका नाम भी शामिल कर लिया जाए।

चौधरी बंसी लालः मुझे कोई एतराज नहीं। आप सभी के नाम जिनको आप शामिल करवाना चाहते हैं लिख कर दे दें, उनके शामिल कर लिया जाएगा।

उप मंत्री (श्रीमती शारदा रानी): एम0पी0 का नाम श्रीमती मिनि माता अगम दास गुरू है।

श्री अध्यक्ष: इनका नाम शामिल कर लिया जाएगा।

Ch. Hardwari Lal (Bahadurgarh): Mr. Speaker, Sir, I rise to endorse the sentiments expressed by the Leader of the House and associate myself with all that he has said with regard to the distinguished personalities who, to the great loss and misfortune of the country, have passed away since we assembled here last. The Leader of the House has, no doubt, spoken for us all and, Sir, if I wish to add a few workds to what he has said it is only beacuse I had the privilege of personal acquaintance with some of these great departed soulds. I must, for example, let myself go when I refer to Mr. D. Sanjivayya. He was the President of the Congress party. But his death is not a loss to the Congress Party alone. In his death, the public life of the country has sustai9ned a great loss. He was a gifted and charming man and one had to meet him only for a moment in order to be converted into his permanent admirer. Rising from a lowly station in life, overcoming the great handicaps of the class of people of which he came, he acquired a unique position in the country, in the affairs of the country. But with his unique achievements in the political field, Sir, he remained a very simple and lovable man. Power or ofice never sat heavily on him. The best tribute that we can pay to his memory is to emulate his approach to public affairs.

Mr. Speaker, Sir, the death of Mr. Ghulam Mohammad is also a great loss to the county. He will be remembered for long for his administrative abilities; for his urbaneity and for his culture and he will always be

remembered in this land of many religions for his signal contribution to the cause of secularism.

Then, Sir, Sh. Bajaj and Sh. Yagnik though very different from each other in many ways were both men after Gandhi Ji's own heart and thier deaths remind us of the unpleasant fact that the Gandhian era which had made this country great in the eyes of the world has all but ended.

I must alos specially refer, Sir, to Prof. P.V. Kane. India' Who's who has not done full justice to hime. He was certainly the Vice Chancellor of the Bombay University. But, that was a small part of his achievements. A lawyer by profession he was a leading lawyer in BOmba. A lawyer by pfofession he became a scholar of international repute in subjects connected with Indiology and it was a recognition of his scholarship that the Government of India appointed him a National Professor of Indiology. For himself, Sir, he will live through ages in the shape of his monumental work on the Vedas. But judging from scholarship in the country, his loss will be an irreparable loss. Irreparable also will be the loss of Prof. Mahalanobis and Dr. Nathan who both made signal contribution to economic research and planning in the post Independent India.

I must also refer to Rai Bahadur Badri Dass. I had the great privilege of knowing him personally and over a long period of time. He has died full of year and honours. But those who knew him will never cease to miss him. In whatever field he worked, and whatever he touched, he brought great dignity and intergrity in that field.

I feel, Sir, that the last few months have been unlucky month for the country; in that we have lost during these few months quite a few of men of rare eminence. The country at this juncture could ill-aford to lose any of them. In any case, I endorse all that the Leader of the House has said with regard to all the departed souls and I, on behalf of the friends on this side and on my own behalf, pay respectful homage to all these departed souls.

3.00 P.M.

चौधरी चांद राम (बबैन एस0सी0): स्पीकर साहब, जितनी महान् आत्माओं का जिकर लीडर आफ दी हाउस ने किया है कि इन महान आत्माओं का निधन समय से पूर्व हुआ है, उने ख्यालात से मैं भी अपने आप को सम्बन्धित करना चाहता हूं। इन महानुभावों में एक दो ऐसे महान व्यक्तियों से मेरा नजदीक का सम्बन्ध रहा है। पिछले दिनों श्रीनगर में मुझ बख्शी गुलाम मुहम्मद से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने उस टाईम पर बहुत सी ऐसी बातों का जिकर किया जिनका सम्बन्ध सन् 1947 से था। उस दौरे में मैं बहुत से जनसाधारण से मिला, मैंने उनेस पूछा कि आप किस नेता को अधिक पसन्द करते है। जब हम वहां गए थे तो उस टाईम पर वे प्रधानमंत्री भी नहीं थे लेकिन साधारण किसान ने, सड़क पर चललते हुए साधारण व्यक्ति ने यही कहा कि हमें बख्शी गुलाम मुहम्मद का राज पसन्द है। जो व्यक्ति किसी पोजीशन पर न रहे परन्तु उसके जन हित के, लोक हित के कार्य उसकी महानता को अवश्य दर्शाते रहते हैं।

श्री संजीवैया सबसे पहले मद्रास में संसद के सदस्य बने और वहां मिनिस्टर बने। मेरे ख्याल में सारी जिन्दगी में ही उनको मिनिस्टर या अन्य पद पर रहने कार सौभाग्य रहा। ये सब से कम उम्र के मिनिस्टर बने थे। सबसे पहले वे श्री राजगोपालाचार्य की कैबिनट में मंत्री बने। ये केवल इतनी छोटी उम्र में मंत्री ही नहीं बने बल्कि कांग्रेस के प्रधान भी बने।

जैसा कि अभी लीडर आफ दी अपोजीशन ने और लीडर आफ दी हाउस ने कहा कि ऐसे आदमी का जो कि छोटे वर्ग में पैदा हुआ हो और अपनी मेहनत और ईमानदारी से इतनी बड़ी पोजीशन पर आसीन हुआ हो, का इतनी छोटी उम्र में चला जाना केवल देश का ही नुक्सान नहीं बल्कि उस क्लास का सिर उन्होंने ऊंचा किया। मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। वे बहुत ही ईमानदार थे। वे हमेशा सादे रहे। वे मुख्य मंत्री भी रहे, भारत सरकार के उद्योग मंत्री भी रहे और कांग्रेस प्रेजीडैन्ट भी रहे। वे ऐसे व्यक्ति थे जिनके मरने के बाद कोई भी उनकी ओर उंगली नहीं उठा सकता, उनकी ईमानदारी के बारे में कोई भी व्यक्ति शक नहीं कर सकता। वे बड़े ही ईमानदार थे।

दूसरे जितने महानुभावों का स्वर्गवास हो गया है वे भी किसी न किसी क्षेत्र में बड़े उच्च कोटि के थे, उन्होंने कोई न कोई महानता पाई हैं। श्री कमल नयन बजाज ने उद्योग में बड़ी महानता प्राप्त की थी। वे पार्लियामैंट के सदस्य भी रहे, कांग्रेस

पार्टी के खजांची भी रहें। यदि वे जीवित रहते तो उकनी सेवाओं से मुल्क को काफी लाभ होता।

हमारे इनमें अर्थशास्त्री भी हैं, जिन्हें अर्थशास्त्र के विषय में बहुत ज्ञान था। जब मैं एम0ए0 में पढ़ता था तो खासतौर पर डा0 पी0एस0 लोकनाथन के अर्थशास्त्र पर लिखे लेख पढ़ा करता था। वे अर्थशास्त्र पर काफी लेख लिख करते थे। उस वक्त का ही हमें पता है किस तरह से उनका अर्थशास्त्र पर काबू था।

इसलिए जो शोक प्रस्ताव हाउस में रखा गया है या जो भी ख्यालात उनके विषय में रखे गए हैं उनसे मैं अपने आप को भी सम्बन्धित करता हूं।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता (बेरी): अध्यक्ष महोदय, अभी यहां परहमारे कई एक साथी बड़े–बड़े लीडर और बड़े आदमियों का नाम ले रहे थे। मुझे महाभारत का एक सवाल याद आ गया जब यक्ष ने युद्धिष्ठर से पूछा था कि दुनियां मैं सबसे बड़ी अजीब बात क्या है ? तो युद्धिष्ठर ने उत्तर दिया कि सब ने मरना है। इस पर यकीन किसी को नहीं आता कि मरना है। इतने बड़े–बड़े महान आदमी आज हमारी नजरों से ओझल हो गये परन्तु वे मरने वालों में नहीं है। मैं सबसे पहले री इन्दुलाल याज्ञिक का रैफेन्स करना चाहता हूं। प्रोफेसर रंगा के साथ वे कोफाउन्डर, किसान महा सभा थे उनके सन् 1957 से 1962 तक प्रेजीडैन्ट रहे और मुझे भी उनके साथ तीन सैक्रेट्रीज में से एक सैक्रेटरी रहने

का इत्फाका हुआ। उन्होंने अपनी खुराक एक रूपया आठ आने मुकर्रर की थी कि मैं जिन्दगी भर इससे ज्यादा अपनी खुराक पर खर्च नहीं करूंगा। सन् 1962 में, जब तक मैं लोकसभा में रहा उन्होंने एक रूपया छः आने से फालतु अपनी खुराक पर खर्च नहीं किये। हर इलैक्शन में आम आदमी कितना पैसा खर्च करता है परन्तु उन्होंने हमेशा कांग्रेस के खिलाफ इलैक्शन लड़ा और इनडिपेन्डेन्ट इलैक्शन लड़ा, कभी कोई पैसा खर्च नहीं किया। जब भी इलैक्शन लड़ने का क्वैश्चन उनके सामने आया, उन्होंने यही कहा कि मैं दिल्ली बैठा हुआ इलैक्शन लडूंगा और दिल्ली बैठे हुए ही उन्होंने इलैक्शन लड़ा। वे हमेशा अहमदाबाद में एक गैराज में रहे। उन्होंने कभी बड़े मकान में रहने की इच्छा नही रखी। वे बड़े महान पुरूष थे।

राय बहादुर बद्रीदास जी के बारे में यहां जिकर करना चाहूंगा कि वे इस जनरेशन की आखिरी निशानी थे जो आर्यसमाज के प्रचार से पैदा हुई थी। उन्होंने पंजाब की बड़ी सेवा की थी। एक क्लास पंजाब ने पैदा की थी, बड़ी शानदार क्लास और सिविल मिलटरी गजट में 1983 में 26–27 लाइवज का जिकर किया था। उस वक्त आर्यसमाज के असर के अन्दर जो महान हस्तियां पैदा हुई, जिन्होंने मुल्क के हर काम में बड़ा भारी कन्ट्रीब्यूशन दिया, राय बहादुर भी उनमें से एक थे। मैं उनका जिकर करते वक्त एक बात उनके खाने के बार में कहनी भूल गया हूं। राय बहादुर बद्रीदास के मैंने शहीदगंज के केस में लाहौर में

पहली दफा दर्शन किये थे। उस टाईम मैं स्टुडैन्ट था। वे उस वक्त दोपहर को एक फल्का खाते थे और लोग कहते थे कि खाये बगैर रह नहीं सकते परन्तु वे एक फुल्का दोपहर को खाते थे, शाम को दूध लेते थे और सुबह लस्सी लेते थे और 97 साल के होकर गुजरे हैं ऐसे–ऐसे पुरूषों के चले जाने के पश्चात् बड़ा ही दु:ख हुआ है।

बख्शी गुलाम मुहम्मद बड़े बुजुर्ग आदमी थे। उन्होंने काश्मीर की ओर देश की बड़े नाजुक वक्त में सेवा की थी। कई एक महान पुरूष और भी हैं जिनका दूसरे साथियों ने भी जिकर कर दिया है। इन शब्दों के साथ मैं सभी महान पुरूषों को श्रद्धाजंलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगए, हमारे जिन महान् नेताओं का पिछले दिनों निधन हुआ, उनकी चर्चा सदन के नेता तथा विपक्षी दल के नेता और कुछ अन्य महानुभावों ने की है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये बड़े महाने नेता थे। इनमें कई एक बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, कई स्वतंत्रता संग्राम के बहादुर सैनानी थे और कई बहुत अच्छे वर्जे के अर्थशास्त्री थे, गर्जेकि बड़े महान् व्यक्ति थे। उनके नेतृत्व में और उनकी सेवाओं से देश को बहुत बड़ा लाभ हुआ। उनके निधन से देश को जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। इनमें से कुछ ऐसे महानुभाव भी थे जिनका मेरे से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क रहा है। बख्शी गुलाम मुहम्मद की चर्चा यहां हाउस में हुई। मुझे उनके विषय में मालूम

है कि वे आजादी की लड़ाई के बड़ बहादुर सिपाही थे। जब भी कभी आल इंडिया स्टेट पीपल्ज कांफ्रेंस का सम्मेलन होता था उनमें मुझे उनसे मिलने का इत्तफाक होता था। उनकी सारी जिन्दगी ही संघर्ष में गुजरी थी। प्रधानमंत्री बनने के पश्चात् भी वे संघर्ष करते रहे, क्योंकि वे एक ऐसे प्रदेश के प्रधानमंत्री थे जहां हर वर्ष, प्रतिदिन संघर्ष चलता है। वे साम्प्रदायिकता से बिल्कुल ऊंचे थे और बड़े सादे और व्यवहारकुशल व्यक्ति थे।

इसी प्रकार से श्री कमल नयन बजाज, सेठ राधाकृष्ण और संजीवैया साहब थे। श्री संजीवैया जी दो बार हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मुझे उनके सम्पर्क में भी आने का अवसर मिला। जैसा कि अभी चौधरी चांद राम जी ने कहा है कि वे बहुत छोटी आयु में असैम्बली के मैम्बर बने। उन्होंने यह भी ठीक ही कहा है कि सब से कम आयु के मंत्री और मुख्य मंत्री बनने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह बात भी सही है कि कांग्रेस जैसी महान संस्था के वे अध्यक्ष बने और शायद कोई भी इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े संगठन का अध्यक्ष नहीं बना। तो मैं इस बात को अधिक लम्बा न करते हुए दिवंगत आत्माओं के प्रति जो भावनायें यहां सदन में व्यक्त की गई हैं, अपने आपको उनके साथ सम्बन्धित करता हूं और मैं चाहता हूं कि यह प्रस्ताव उनके शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाया जाये और हमारी संवेदनायें इन तक पहुंचायी जायें। मैं सदन के सदस्यगण से प्रार्थना करूंगा कि उन

दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें।

(इस समय सदस्यगण ने दो मिनट का मौन धारण किया।)

घोषणा

(क) अध्यक्ष द्वारा

(i) सभापति तांलिका

श्री अध्यक्षः पंजाब विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन संबंधी नियमों के नियम 13(1) क अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका (पैनल आफ चेयरमैन) में कार्य करने के लिए नाम निदेशित करता हूं:–

1. चौधरी सरूप सिंह
2. चौधरी मनफूल सिंह
3. पंडित चिरंजी लाल
4. चौधरी चांद राम

(ii) याचिका समिति

श्री अध्यक्षः पंजाब विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन संबंधी नियमों के नियम 293(1) के अधीन मैं

निम्नलिखित सदस्यों को याचिका समिति (कमैटी आन पैटीशन्ज) में कार्य करने के लिए नाम निदेशित करता हूं:–

1. श्रीमती लेखवती जैन (उपाध्यक्षा), पदेन सभापति

2. पंडित चिरंजी लाल शर्मा

3. राव दलीप सिंह

4. श्री गुलाब सिंह जैन, तथा

5. चौधरी मनफूल सिंह

(ख) सचिव द्वारा

श्री अध्यक्षः अब सचिव महोदय घोषणा करेंगे।

सचिवः मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण, जो हरियाणा विधान सभा ने पिछले सत्र में 3 अप्रैल, 1972 से 7 अप्रैल, 1972 तक हुई अपनी बैठकों में पास किये थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूं।

दर्शनि

1. पंजाब भू–राजस्व (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1972

2. पंजाब होमियोपैथिक व्यवसायी (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1972

3. पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी व्यवसायी (हरियाणा संशोधन तथा मान्यीकरण) विधेयक, 1972

4. पंजाब औद्योगिक स्थापना (राष्ट्रीय व पर्व दिन छुट्टियां तथा आकस्मिक व अस्वस्थता छुट्टी) हरियाणा संशोधन विधेयक, 1972

मेज पर पुनः रखे गए/रखे गए कागज पत्र

Deputy Minister for Health (Smt. Sharda Rani): Sir, I beg to relay on the Table a copy of the Notification No. G.S.R. 78/PA-14/65/S. 15/66, dated the 5th April, 1966, regarding the Punjab Industrial Establishments (National and Festival Holidays and Casual and Sick Leave) Rule, 1966, as required under section 15(4) of the Punjab Industrial Establishments National and Festival Holidays and Casual and Sick Leave) Act, 1965.

I also beg to relay on the Table a copy each of the following Notifications regarding the amendments in the Motor Vehicles Rules, 1940, as required under section 133(3) of the Motor Vehicles Act, 1939:-

(i) Notification No. G.S.R. 143/C.A. 4/39/S. 133-A/71, dated the 3rd December, 1971.

(ii) Notification No. G.S.R./C.A. 4/39/Ss. 24 and 41/Amd./72, dated the 17th March, 1972.

I also beg to relay on the Table a copy each of the following Notifications regarding the amendments in the Motor Vehicles Rules, 1940, as required under section 133(3) of the Motor Vehicles Act, 1939:-

(i) Notification No. G.S.R. 84/C.A. 4/39/Ss. 24 and 41/72, dated the 14th April, 1972.

(ii) Notification No. G.S.R. -/C.A. 4/39/Ss. 24 and 41/Amd. (3)/72, dated the 5th May, 1972.

(iii) Notification No. G.S.R. -/C.A. 4/39/Ss. 24 and 41/Amd. (4)/72, dated the 5th May, 1972.

(iv) Notification No. G.S.R. 94/C.A. 4/68/S. 68/Amd. (5)/72, dated the 21st April, 1972.

(v) Notification No. G.S.R. -/C.A. 4/39/S. 91/Amd. (6)/72, dated the 5th May, 1972.

I also beg to lay on the Table a copy of the Notification No. G.S.R. 19/P.A. 25/63/S. 21/69, dated the 21st January, 1969, regarding the Haryana Thur and Sem Lands (Reclamation) Rules, 1969, as required under Section 21(3) of the Punjab Thur and Sem Lands (Reclamation) Act, 1963.

I also beg to lay on the Table a copy of the Notification No. G.S.R. 73/H.A. 29/70/S. 7/72, dated the 7th April, 1972, regarding the Haryana Government Electrical Undertakings (Dues Recovery) Rules, 1972, as required under Section 7(3) of the Haryana Government Electrical Under takings (Dues Recovery) Act, 1970.

I also beg to lay on the Table a copy of the Notification No. G.S.R. 155/P.A. 24/61/S. 40/71, dated the 17th December, 1971, regarding the amendments in the Punjab Slum Areas (Improvement and Clearance) Rules, 1962, as required under Section 40(3) of the Punjab Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1961.

I also beg to lay on the Table a copy of the Notification No. G.S.R. 50/P.A. 25/61/S. 85/72, dated the 17th March, 1972, regarding the amendments in the Punjab Co-operative Societies Rules, 1963, as required Under Section 85(3) of the Punjab Co-operative Societies Act, 1961.

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

श्री अध्यक्षः समस्त मानयोग सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आज रात को ठीक 11.30 बजे, हमारी 25वीं स्वतन्त्रता जयन्ती के उपलक्ष्य में एक विशेष समारोह सदन में इसी स्थान पर होगा जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल महोदय करेंगे। विस्तृत कार्यक्रम पहले ही आप तक पहुंचाया जा चुका है।

श्री अध्यक्षः सदन बुधवार, 16 अगस्त, 1972 के दिन के दो बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

3.19 P.M.

(इस समय सदन बुधवार, 16 अगस्त, 1972 मध्यान्होपरांत 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।)